न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 101/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/328

दायर दिनांक :– 20.06.2024 निर्णय दिनांकः– 06.10.2025

1. सुखराम पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी नोखड़ा चारणान तहसील बाप जिला फलोदी
2. भगवानाराम पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बी की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
3. महीराम पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बी की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
4. जीवणराम पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बी की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
5. कल्याणराम पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बी की ढाणी तह. बाप जिला फलोदी
6. फरसाराम पुत्र मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बी की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
7. मोहनी पत्नी मनोहरराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
8. शांति पुत्री मनोहरराम पत्नी हरीराम जाति विश्नोई नि. नोखड़ा चारणान तह. घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
2. गणपतराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
3. सहीराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
4. मंगलाराम पुत्र मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
5. समदा पुत्री मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुरती पत्नी मलूकाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
7. सोढाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री विजय कुमार तंवर अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय का पेश है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थी को अपने हिस्से पर कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक न्याय के

06/10/25

तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 687 रकबा 16.6730 हैक्टेयर सरहद मौजा जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जिसे वाद में आगे "वादग्रस्त भूमि" सम्बोन्धित किया जायेगा। नक्शा ट्रेस एवं चालू जमाबंदी संवत 2076–2079 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 687 रकबा 16.6730 हैक्टेयर का आपसी सहमति का बंटवाड़ा पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 ने संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायक अनुसार रास्ता छोड़ कर कर लिया है। उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 का मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का अभिन्न हिस्सा माना व समझा जावे। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 ने उपरोक्त आपसी सहमति से प्राप्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी योजना के तहत अलग–अलग रहवासीय पक्के मकान, ढाणियां, पानी के टांके एवं पशुओं के बाड़े इत्यादी बना रखे है जिसमें प्रार्थीगण अपने–अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि को खाद बीज वगैरा डाल कर आधुनिक तरीके से तैयार किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 ने आपसी सहमति से मौके पर किये गये बंटवाड़ा के तहत छोड़े रास्तों पर मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क व डामर सड़क बनाई हुई है। इसी रास्ते को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 द्वारा आवागमन हेतु उपयोग किया जा रहा है। इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त आपसी सहमति के बंटवाडा अनुसार संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता छोडते हुए ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 687 रकबा 16.6730 हैक्टेयर का बंटवाडा अपने एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के मध्य करवाकर इसी अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाते कायम करवाने एवं इसी अनुसार ही नक्शा लट्ठा में तरमीम करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही संभव है। प्रार्थीगण गरीब एवं असहाय व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 साधन संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 18 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे की ग्राम जाम्बा की ढाणी पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 687 रकबा 16.6730 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के हिस्से व प्रार्थीगण द्वारा तैयार की गई भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक

06/10/W

कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम जाम्बा की ढाणी के खाता संख्या 128 सम्वत् 2076–79 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर हक हिस्सा किस स्थान पर बनता है इसका निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण पर ही की तय किया जाना है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित सह काश्तकार होने के कारण उपयोग एवं उपयोग करने स्वतंत्र अधिकार है। अभिलिखित खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u>

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम सुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित सह काश्तकार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के जारी की जाती है तो

06/10/25

अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग व उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

06/10/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)